न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीनिधि बी टी, आई.ए.एस.,जिला कलक्टर धौलपुर
मुकदमा नम्बर :– 02/2024 **(जी सी एम एस नम्बर 2024/6)**

उनवानी प्रकरण :–

1–फन्नो उम्र करीव 56 वर्ष पुत्र स्व0 श्री शिवदयाल । जातिगण काछी(कुशवाह)
2–रामकली उम्र करीव वर्ष पत्नी स्व0 श्री शिवदयाल । निवासी भीमनगर सैपऊ
3–सूखो उम्र करीव वर्ष पुत्र स्व0 श्री शिवदयाल । तहसील सैपऊ जिला धौ0
————————अपीलान्टस

बनाम्

1–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सैपऊ जिला धौलपुर
2–अंगूरी पत्नी स्व0 श्री मवसिया /
3–गुडडी पुत्री स्व0 श्री मवसिया / समस्त जातिगण काछी (कुशवाह)
4–गीतावली पुत्री स्व0 श्री मवसिया /
5–रामबावू पुत्र स्व0 श्री मवसिया /
6–रामभरोसी पुत्र स्व0 श्री मवसिया / समस्त निवासी सैपऊ
7–कस्तूरी पुत्री स्व0 श्री छोटे /
8–नत्थी पुत्र स्व0 श्री छोटे " दौराने अपील फोत" ।
9–निरोती पुत्र स्व0 श्री छोटे /
10–लज्जाराम पुत्र स्व0 श्री छोटे / जिला धौलपुर
11–रेशो पुत्री स्व0 श्री छोटे /
12–रमेशचन्द पुत्र अनार सिंह /
13–शिवशंकर पुत्र नत्थो /
————————रेस्पोडेण्ट

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)

अपील विरूद्व नामान्तकरण संख्या 2243
दिनांक .06.2011 बॉके ग्राम सैपऊ न01
द्वारा तहसीलदार सैपऊ

उपस्थिति :–

अपीलान्ट की ओर से :– श्री अशोक दिवाकर एडवोकेट
रेस्पोडेण्ट सं01 की ओर से :– पैरोकार सरकार
रेस्पो0 2लगा07 एवं 9 लगा013 की ओर से:– श्री लक्ष्मीनारायन वघेल एडवोकेट

निर्णय दिनांक : 26.11.2024

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा इन तथ्यों के आधार पर पेश की गई है कि आराजी खसरा नम्बर 2872, 2945, 2945/3405, 2956, 3021, 3022, 3023, 3024 वांके ग्राम सैपऊ न01 में अपीलान्टस 1/72 भाग के खातेदार काश्तकार और अपने हिस्सा पर रैस्पो0 संख्या 2लगा013 संयुक्त रूप से काबिज होकर कास्त कर रहे है और न्यायालय उपखण्डाधिकारी सैपऊ ने वटवारे की निर्णय व डिक्री दिनांक 29.10.2011 को पारित की गई जिसके आदेश अनुसार वटवारे में अपीलान्टस व रेस्पो0 संख्या 2लगा013 के हिस्से में आराजी खसरा नम्बर 3024 रकवा 0.2276 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3853/3021 रकवा 0.1138 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 0.2023 हैक्टेयर आये है जिसमें अपीलान्टस का हिस्सा 1/32 – 1/32 भाग निहित है और न्यायालय उपखण्डाधिकारी सैपऊ की वटवारे की निर्णय व डिक्री दिनांक 29.10.2011 की पालना में तहसीलदार सैपऊ ने नामान्तकरण संख्या 2243 दिनांक 05.12.2011 को तस्दीक किया गया है जिसमें अपीलान्टस के सही नाम फन्नो, रामकली, सूखो के बजाय अपीलान्टस के गलत नाम पन्नो, रामवती, सूखी के नाम से नामान्तकरण संख्या 2243 तस्दीक कर दिया है जबकि अपीलान्टस के सही नाम फन्नो, रामकली, सूखो नामान्तकरण संख्या 2243 से पूर्व के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी खाता संख्या 343 सम्बत 2063 से 2066 व जमाबन्दी खाता संख्या 376 सम्बत 2067 से 2070 रिकार्ड में अंकित है। अपीलान्टस ने अर्सा करीब 10 दिवस पूर्व अपने गलत नामो की जानकारी होने पर रेस्पों0 संख्या–1 तहसीलदार सैपऊ से अपने वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज गलत नामों को निरस्त करके अपीलान्टस के सही नांम फन्नो, रामकली, सूखो के नाम पुन: नामान्तकरण तस्दीक करने का निवेदन किया तो रेस्पो0 संख्या–1 ने अपीलान्टस के सही नाम से नामान्तकरण तस्दीक करने से साफ इन्कार कर दिया जिससे असन्तुष्ठ होकर अपीलान्टस ने यही अपील प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टस के सही नाम फन्नो, रामकली, सूखो के नाम की जांच किये बिना केबल मात्र गांव के व्यक्यिों द्वारा बताये अनुसार व अपीलान्टस से जानकारी किये बिना अपीलान्टस के गलत नाम पन्नो, रामवती, सूखी के नाम से नामान्तकरण तस्दीक करने में कानूनी भूल की है जो कि स्वत: ही निरस्त कराकर अपीलान्टस अपने सही नाम फन्नो, रामकली, सूखो के नाम से नामान्तकरण सहीं करा पाने का अधिकारी है। तहसीलदार सैपऊ ने उपलब्ध रिकार्ड के बिरूद्व नामान्तकरण संख्या 2243 तस्दीक किया है जो कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के बिपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट ज्ञान से अविलम्ब अन्दर अवधि अपील प्रस्तुत कर रहा है। ऐसे शून्य आदेशों पर मियाद अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते है फिर भी प्रार्थना पत्र धारा 5 व 17 मियाद अधिनियम प्रथक से प्रस्तुत किया है। अत: अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन

नामान्तकरण संख्या 2243 निरस्त किया जाकर अपीलान्टस के सही नाम फन्नो, रामकली, सूखो की जांच करके तहसीलदार सैपऊ को पुनः सही नाम से नामान्तकरण तस्दीक किये जाने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किये जाने की प्रार्थना की है।

अपीलान्ट ने अपील के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में जमाबन्दी खाता संख्या 408, नकल नामान्तकरण संख्या 2243, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 394 सम्बत 2076 से 2079, जमाबन्दी खाता संख्या 343 सम्बत 2063 से 2066, जमाबन्दी खाता संख्या 376 सम्बत 2067 से 2070, जमाबन्दी खाता संख्या 411 सम्बत 2076 से 2079 ग्राम सैपऊ नम्बर–1, फोटोप्रति आधारकार्ड, फोटोप्रति बैंक पासबुक पेश की है।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेसपोडेण्ट को तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या–1 पैरोकार सरकार एवं रैस्पो0सं0 2 लगा013 की ओर से लक्ष्मीनारायन वघेल एडवोकेट उपस्थित हुये। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर दोनों पक्षों को सुना गया। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कन्डौन किया जाता है। हम अपील अपीलान्ट गुणवगुण के आधार पर अपील का निर्णय किया जाना उचित समझते है।

बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि न्यायालय उपखण्डाधिकारी सैपऊ की वटवारे की निर्णय व डिकी दिनांक 29.10.2011 की पालना में तहसीलदार सैपऊ ने नामान्तकरण संख्या 2243 दिनांक 05.12.2011 को तस्दीक किया गया है जिसमें अपीलान्टस के सही नाम फन्नो, रामकली, सूखो के बजाय अपीलान्टस के गलत नाम पन्नो, रामवती, सूखी के नाम से नामान्तकरण संख्या 2243 तस्दीक कर दिया है जबकि अपीलान्टस के सही नाम फन्नो, रामकली, सूखो नामान्तकरण संख्या 2243 से पूर्व के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी खाता संख्या 343 सम्बत 2063 से 2066 व जमाबन्दी खाता संख्या 376 सम्बत 2067 से 2070 रिकार्ड में अंकित है। तहसीलदार सैपऊ ने उपलब्ध रिकार्ड के बिरूद्व नामान्तकरण संख्या 2243 तस्दीक किया है जो कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के बिपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 2243 निरस्त क़िया जाकर अपीलान्टस के सही नाम फन्नो, रामकली, सूखो की जांच करके तहसीलदार सैपऊ को पुनः सही नाम से नामान्तकरण तस्दीक किये जाने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जावे।

रेस्पोडेन्ट पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन नामान्तकरण में अपीलान्टस के सही नाम फन्नो, रामकली, सूखो के स्थान पर पन्नो, रामवती, सूखी अंकित कर दिया है जो जॉच का विषय है। तहसीलदार द्वारा जॉच करने के उपरान्त नाम का अंकन शुद्व किया जा सकता है। रैस्पो0 संख्या 2 लगा013 के अभिभाषक ने दौराने बहस अपील में अंकित कथनो को स्वीकार करते हुये प्रकरण तहसीलदार सैपऊ को प्रतिप्रेषित किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की प्रस्तुत वहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अधोपान्त अवलोकन किया। अपीलान्ट का मुख्य रूप से यह कथन है कि न्यायालय उपखण्डाधिकारी सैपऊ के निर्णय व डिक्री दिनांक 29.10.2011 की पालना में तहसीलदार सैपऊ ने अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 2243 दिनांक 05.12.2011 को तस्दीक किया गया है जिसमें अपीलान्टस के सही नाम फन्नो, रामकली, सूखो के बजाय अपीलान्टस के गलत नाम पन्नो, रामवती, सूखी के नाम से तस्दीक किया है जबकि अपीलान्टस के सही नाम फन्नो, रामकली, सूखो है। अपीलान्टस ने प्रकरण में नामान्तकरण संख्या 2243 से पूर्व के प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी खाता संख्या 343 सम्बत 2063 से 2066 व जमाबन्दी खाता संख्या 376 सम्बत 2067 से 2070 रिकार्ड में अपीलान्टस के नाम फन्नो, रामकली, सूखो अंकित है। इस प्रकार तहसीलदार सैपऊ ने उपलब्ध रिकार्ड के बिरूद्व अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 2243 अपीलान्टस के गलत नामों से तस्दीक किया है। अपीलाधीन नामान्तकरण प्रथम दृष्टया तथ्यों के सर्वथा विपरीत है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार योग्य पाई जाकर तहसीलदार सैपऊ को अपीलान्टस के सही नाम की जॉच कर पुनः नामान्तकरण तस्दीक करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है।

अतः आदेश है कि अपील, अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 2243 दिनांक 05.12.2011 वांके ग्राम सैपऊ नम्बर–1 तहसील सैपऊ निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार सैपऊ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्टस को विधिवत सुनवाई का अवसर देते हुये अपीलान्टस के सही नाम की जांच कर जांच उपरान्त पुनः नामान्तकरण तस्दीक करने की कार्यवाही करें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार सैपऊ को भिजवाई जावे। वाद तकमील पत्रावली दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्रीनिधि बी टी)
जिला कलक्टर